11/08/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०।
वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा
भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई।
विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय
में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद
आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित अतः
विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती
है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी। आदेश अलग
से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।
आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय
अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 40 / 2023

प्रार्थीगण :—

1. गोमाराम पुत्र पूराराम
2. मोहनलाल पुत्र पूराराम

   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. रूपोंदेवी पत्नी बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी मेगावा तह0 सांचोर
2. लादूराम पुत्र सरदाराराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तहसील धोरीमना
3. आईदानराम पुत्र वीराराम
4. भींयाराम पुत्र वीराराम (विप्रार्थी संख्या 3 व 4 नाबालिंग की वली माता शांतिदेवी पत्नी वीराराम)
5. गणपतराम पुत्र वीराराम
6. छोगा पुत्र नाथा
7. नरसीराम पुत्र वीराराम
8. मोती पुत्र लाला
9. रूपो पत्नी नाथा
10. राणाराम पुत्र वीराराम
11. रायमल पुत्र नाथा
12. शांतिदेवी पत्नी वीराराम
13. हंजारी पुत्र नाथा

    जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
14. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 11.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 2.6305 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा बेरीगांव पटवार क्षेत्र बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख **निरीक्षक पीपराली** को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/08/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 892

प्रार्थीगण

दिनांक : 11/08/23

बनाम

विप्रार्थीगण

गोमाराम वगैरा

रूपोंदेवी वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......40 / 2023..

निर्णय दिनांक :– **11.08.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **बेरीगांव** के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 2. 6305 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक पीपराली**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**1000 / –**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 11/08/23

कमांक: वाद / 2023 / 893–898
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**।
4. हल्का पटवारी....**बेरीगांव**.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**गोमाराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.....**रूपोदेवी वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी